कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना -800 015, दूरभाष : 2545365 / फैक्स : 2545364

पत्रांक–

प्रेषक,

बी0एन0 झा, भा0व0से0
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।

सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक स्तर के सभी पदाधिकारी।

सभी वन संरक्षक।

सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

E-mail

पटना–15, दिनांक–

विषय– **पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले पौधों के दर का निर्धारण।**

महाशय,

पर्यावरण एवं वन विभाग के विविध पौधशालाओं से वितरित किए जाने वाले पौधों का दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

1. गैर सरकारी संस्थाओं तथा मनरेगा आदि कार्यक्रम के अंतर्गत विभागीय पौधशालाओं से पौधों की आपूर्ति के लिए दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

क)	छोटा ट्यूब पौधा (4''X 8'' थैला)	:	10/– रूपये प्रति पौधा
ख)	स्टम्प	:	10/– रूपये प्रति स्टम्प
ग)	पौधे वॉल ऑफ अर्थ के साथ	:	20/– रूपये प्रति पौधा
घ)	बड़ा ट्यूब पौधा (4''X 8'' से बड़ा थैला)	:	20/– रूपये प्रति पौधा
ड.)	प्री–एस्प्राउटेड स्टम्प	:	20/– रूपये प्रति पौधा

2. सरकारी संस्थाओं को 1000 तक पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी सरकारी संस्था द्वारा 1000 से अधिक पौधों की आपूर्ति का अनुरोध किया जाता है, तो उसे सशुल्क/निःशुल्क आपूर्ति करने के संबंध में निर्णय संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,पारिस्थितिकी एवं

पर्यावरण, बिहार, पटना द्वारा लिया जायेगा। सशुल्क आपूर्ति की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका 1 के अनुसार दर प्रभावी होगा।

3. जो व्यक्ति 100 से कम पौधे विभाग के अधीन नर्सरी से प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए दर निम्नवत् रहेगा :-

(क)	छोटा ट्यूब के पौधा के लिए	:-	5/- रूपये प्रति पौधा
(ख)	बड़ा ट्यूब के पौधा के लिए	:-	10/- रूपये प्रति पौधा
(ग)	स्टम्प	:-	10/- रूपये प्रति।

4. किसी व्यक्ति को 100 अथवा उससे अधिक पौधों की आपूर्ति विभागीय पौधशालाओं से नहीं की जाएगी। इससे अधिक मांग अगर कोई करता है तो उसे कृषि वानिकी की योजना में शामिल कर पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।

यह दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पौधों के दर संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। इस पर सरकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(बी0एन0 झा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2245 दिनांक 06.8.13

प्रतिलिपि-सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजेर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

एक प्रति गार्ड फाइल में।

6/8/13

(बी0एन0 झा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
बिहार, पटना।

rak.hnd.Aug 13